FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0300 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/12/2024 16:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 28/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/12/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/12/2024 16:24:57 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KHANDAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** HANUMAN RATHOR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** NATHULAL SAHU
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BALER ROAD, BAIRWA BASTI KHANDAR, KHANDAR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BALER ROAD, BAIRWA BASTI KHANDAR, KHANDAR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMBHARAT BAIRWA URF BHARAT SURYVANSHI		पिता:DHULILAL BAIRWA	1. GRAM BADOD POST BADOD,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,80,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,80,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार है कि दिनांक 06.09.2024 समय 02.30 पीएम पर श्री हनुमान राठौर पुत्र श्री नाथुलाल साहु जाति साहु उम्र 32 वर्ष निवासी बालेर रोड बैरवा बस्ती खण्डार जिला सवाई माधोपुर ने ब्यूरां कार्यालय एसीबी सवाई माधोपुर मे उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आधार कार्ड मय कब्जा शुदा प्लाट के फोटो ग्रॉफ की हस्ताक्षरयुक्त फोटो प्रति के इस आषय का पेष किया कि प्रार्थी बालेर रोड बैरवा बस्ती खण्डार जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हू ँ। बालेर रोड के पास मेरा कब्जा शुदा प्लाट है जिस पर मैने कुछ पक्का निर्माण कर रखा है उक्त कब्जाशुदा प्लाट का पट्टा बनवाने के लिए मैने ग्राम पंचायत बरनावदा के सरपंच श्री भरत सूर्यवंशी को प्रार्थना पत्र दिया था उसके बाद सरपंच साहब ने मेरे से उक्त कब्जाशुदा प्लाट का पट्टा नही बनाने का दबाव बना कर उक्त कब्जाशुदा प्लाट का पट्टा बनाने की एवज में 50,000 रूपये पहले ले लिए व 2 लाख रूपये की और मांग कर परेशान कर रहा है मै ऐसे भ्रष्ट सरपंच को रिश्वत नही देना चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहाता हु। मेरी उक्त सरपंच से कोई पुराना लेन-देन व आपसी रंजिस नही है अतः नियम अनुसार कार्यवाही करने की कृपा करे। उक्त लिखित रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त करने पर रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना बताने पर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिष्वत के लेन-देन का पाया जाने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को ब्यूरो द्वारा ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया समझाई गई एवं परिवादी ने बताया की मैनें अपने स्तर पर पता लगाया है कि आज भरत सूर्यवंशी सरपंच साहब कही बाहर गये है। इसलिये रिश्वत मांग का सत्यापन नही हो सकता है। इसके पश्चात समय 04.00 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानि0 133 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री हनुमान राठोर द्वारा करवायी जाने वाली ट्रेप कार्यवाही व प्रार्थना पत्र के बारे में अवगत कराया व परिवादी से आपसी परिचय करवाया। रिष्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को निकलवा कर वाईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड लगाकर वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गयी। इसके पश्चात दिनांक 10.09.2024 समय 10.30 एएम पर कानि0 मनोज कुमार ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की दिनांक 09.09.2024 को समय करीबन 08.50.ए.एम पर मेरे पास परिवादी श्री हनुमान राठोर का कॉल आया और मुझे बताया की मैं आज सरपंच भरत सूर्यवंशी से मिलूंगा आप समय 11-12 बजे तक आ जाना। सरपंच भरत सुर्यवंशी मुझे खण्डार में ही मिलेगा, वही उससे मेरे पटटे के सम्बन्ध में बातचीत करूंगा। इस पर मैने आपको जरिये दूरभाष सुचित करके आपके निर्देशानुसार मेरी निजी मोटरसाईकिल से खण्डार के लिये रवाना हो गया था। मैं करीबन 11.30 ए.एम पर खण्डार पेट्रोल पम्प के पास पहुंच गया था, जहां पर परिवादी श्री हनुमान राठोर उपस्थित मिला। इसके पश्चात समय करीबन 04.00 पी.एम पर मन कानि0 ने परिवादी के समक्ष डिजिटल वाईस रिकार्डर को खाली होना सुनिश्चित कर वाईस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड लगाकर अपना परिचय देकर परिवादी को सरपच के आवास पर रवाना कर दिया था। मैं परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हो गया था। मैनें देखा कि परिवादी के बताये अनुसार परिवादी सरपंच के आवास के अन्दर चला गया था। में वही पर रूक गया था। इसके कुछ समय पश्चात परिवादी हनुमान राठोर मेरे पास आया, जिससे वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया। "परिवादी ने पूछने पर मनोज कानि0 को बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर भरत सूर्यवंशी के आवास पर गया जहां पर मुझे सरपंच मिला तो मैने उससे मेरे बालेर रोड पर स्थित कब्जा शुदा प्लाट का पटटा बनाने के लिये बातचीत की तो सरपंच साहब ने मेरे कहा की मैने उनसे अभी कोई भी बात नही की, मेरी रिस्क पर ही कर रहा हॅू। मैंने कहा की कुल कितने करने तो सरपंच साहब ने दो लाख के लिये कहा मैंने कहा की कुछ कम कर दो इस पर सरपंच साहब एक लाख अस्सी हजार रूपये लेने को राजी हो गये और कहा की जब तु कब्जा शुदा प्लाट का बैचानामा करवायेगा तब ही तो कराउंगा ना, मेरे क्या काम है बीच में पडने से। यह जमीन अपनी नही है, यार देख उनकी है और उन्होने पटटा बनाने के लिये एक लाख अस्सी हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा सरपंच साहब से मैने दस दिन के लिये कहा है" ।परिवादी ने मुझे बताया की साहब मैं गरीब आदमी हॅू, मेरे से एक लाख अस्सी हजार रूपये की व्यवस्था नही बैठेगी, मेरे पास जितने रूपये की व्यवस्था होगी उतने में करके ले आउंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मनोज कानि0 से वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुना गया तो कानि0 के कथनो की ताईद हुई। वाईस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंय की कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 27.09.2024 समय 10.30 एएम पर

परिवादी श्री हनुमान राठौर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर उपस्थित आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व में मनोज कानि0 द्वारा बताये गये हालातो से अवगत करवाया और बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में सरंपच को रिश्वती राशि के रूप में दी जाने वाली राशि 1,80,000/-रूपये की व्यवस्था नहीं हो पायी है। मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतने सारे पैसो की व्यवस्था नही हो सकती। मैं आरोपी सरपंच को रिश्वत राशि दस हजार रूपये के व्यवस्था करके लाया हूँ। परिवादी ने शेष 1,70,000/-रूपये देने में असमर्थता जताकर उक्त एक लाख सत्तर हजार रूपये डमी करेंसी के साथ ट्रेप कार्यवाही को अंजाम देने हेतु अनुरोध किया, जिस पर उक्त के संबंध में उच्चाधिकारियों से उचित दिशा निर्देश प्राप्त किये जाकर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके पश्चात दिनांक 27.09.2024 समय 02.15 पर स्वतंत्र गवाहो की आवष्यकता होने से उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सवाई माधोपुर के नाम पत्रांक 1065 दिनांक 27.09.2024 जारी कर दो स्वतंत्र गवाह लाने के लिये श्री राजवीर सिंह कानि0 149 को रवाना किया गया। जो 02.55 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री भगवान सहाय मीना पुत्र श्री सियाराम मीना जाति मीना उम्र 52 वर्ष निवासी पुसोदा पुलिस थाना सुरवाल जिला सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सवाई माधोपुर एवं श्री रामचरण गुर्जर पुत्र पन्नालाल गुर्जर उम्र 34 वर्ष निवासी बूचोलाई, तहसील तलावडा, जिला गंगापुर सिटी हाल सूचना सहायक, कार्यालय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को साथ लेकर कार्यालय आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहन से परिचय प्राप्त कर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री हनुमान राठोर से दोनों गवाहान का आपस में परिचय करवाया। दोनो गवाहों से होने वाली ट्रेप कार्यवाही में उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमती दी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढकर सुनाया दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 09.09.2024 को हुई रिष्वत मांग के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की गई वार्ताएं जो डिजिटल वॉइस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर दोनो गवाहान व परिवादी को मुख्य मुख्य अंष सुनाये गये। परिवादी ने रिकार्डर की वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी भरत सूयवंशी सरपंच की होना बताया। दोनो गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकार्ड वार्ताओं में रिष्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। इसके पश्चात समय 3.30 पी.एम पर दिनांक 09.09.2024 को परिवादी हनुमान राठोर व आरोपी भरत सूर्यवंशी सरपंच के मध्य हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमेरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष आवाज पहचान परिवादी से करवाते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता हू ब हू श्री मनोज कुमार कानि0 133 से तैयार करवाई गयी तथा उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क ए-1 व दो डीवीडीयां क्रमश- मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क ए-2, ए-3 अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.00 पी.एम पर परिवादी हनुमान राठोर ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताया कि समय काफी ज्यादा हो गया है। आरोपी सरपंच के मिलने की सम्भावना कम प्रतित होती है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी को कार्यालय में रोका गया तथा स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर दिनांक 28.09.2024 को प्रातः समय 05.00 ए.एम पर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पर उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 28.09.2024 समय 05.00 एएम पर पूर्व से पावन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री रामचरण गुर्जर सूचना सहायक व श्री भगवान सहाय मीना कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। समय 05.15 ए.एम पर कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री रमेश कुमार कानि0 द्वारा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सूखने के उपरान्त कार्यवाही में साथ ले जाने वाले ट्रेप बॉक्स को अच्छी तरह से साफ करवाया जाकर उसमें कांच की शीशीयां, डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास व चम्मच, सोडियम कार्बोनेट का डब्बा व अन्य ट्रेप कार्यवाही में उपयोग आने वाला सामान रखवाया। इसके पश्चात समय 06.30 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहन श्री रामचरण गुर्जर व भगवान सहाय मीना के समक्ष परिवादी श्री हनुमान राठौर को उसके बालेर रोड पर स्थित कब्जा शुदा प्लाट के पटटा बनाने की एवज में भरत सुर्यवंशी सरपंच से दिनांक 09.09.2024 को हुए गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में दी जाने वाली एक लाख अस्सी हजार रूपये रिश्वत राशि पेश करने के लिए कहा गया तो परिवादी श्री हनुमान राठोर ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि दस हजार रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले "भारतीय मनोरंजन बैंक" की डमी करेंसी की एक गड्डी जिसमें कुल 340 नोट, राशि एक लाख सत्तर हजार रूपये (डमी करेंसी) निकालकर रिश्वत राशि के रूप में पेश किये, इस प्रकार उक्त रिश्वत राशि कुल एक लाख अस्सी हजार रूपये (दस हजार प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं एक लाख सत्तर हजार रूपये डमी करेंसी) पेश किये। परिवादी द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 10,000/- रूपये (दस हजार) रूपयों का विवरण फर्द में अंकित किया गया। फर्द में अंकित उपरोक्त नोटो के अतिरिक्त 500 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के कुल 340 नोट कुल राशि 1,70,000 रूपये है। उक्त सभी डमी नोटो पर "भारतीय

मनोरजंन बैंक" लिखा हुआ है। जिन पर कोई भी नम्बर अंकित नही है। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार सरपंच को दी जानी है। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोटो एवं डमी करेंसी के पांच-पांच सौ रूपये के 340 नोटो पर पृथक-पृथक फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री रमेश कुमार कानि0 469 से मालखाने का ताला खुलवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से मालखाने में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर कार्यालय के कमरे में टेबल पर अखबार बिछाकर उक्त राशि को अखबार पर रखकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से उक्त राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगी उक्त राशि को एक सफेद लिफाफे में रखवाये जाकर उक्त लिफाफे पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री हनुमान राठोर की जामा तलाशी स्वतन्ञ्त्र गवाह श्री रामचरण गुर्जर से लिवाई जाकर परिवादी के पास स्वयं के मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। उक्त रिश्वत राशि रखे लिफाफे को श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक द्वारा सीधे ही परिवादी श्री हनुमान राठोर की पहने हुये लोअर की सामने की दाहिनी जैब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत की गई कि वो रिश्वती राशि को अनावश्यक रूप से नही छुये व सरपंच को रिश्वती राशि देते समय डमी करेंसी का आभास नही होने देने का प्रयास करें तथा होशियार व चौकन्ना रहें। साथ ही सरपंच रिश्वत राशि लेने के पश्चात उसको कहां-कहां रखता है यह भी ध्यान रखे। इसके पश्चात परिवादी को सुविधानुसार ट्रेप टीम के किसी भी सदस्य को या मुझे मिस कॉल या निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। उपस्थित दोनो स्वतन्ञ्त्र गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स से सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा निकलवाकर उसमें एक प्लास्टिक की चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार स्वतंत्र गवाहा श्री भगवान सहाय मीना करवाया जाकर हाजरिन को दिखाया गया तो घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दोनो हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर सरपंच इन रंग लगे हुये नोटों या रिश्वत राशि युक्त लिफाफे को अपने हाथों से छुएगा एवं उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थेलीन पाउडर का डिब्बा को वापस श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से मालखाना में रखवाया गया तथा गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया, उपयोग में ली गई डिस्पोजल गिलास, उक्त को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। परिवादी व सरपंच के मध्य लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही में काम लिए गये विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड श्री मनोज कुमार कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी जब सरपंच के पास जाये तब परिवादी हनुमान राठोर को रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर रवाना करें। फर्द हाजा हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर सभी को पढ़ कर सुनाई गई सभी ने सुन व समझ कर सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात समय 07.15 एएम पर परिवादी हनुमान राठोर व श्री मनोज कुमार कानि 133 मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के परिवादी की मोटर साईकिल से आगे आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा स्वतंत्र गवाह रामचरण गुर्जर, भगवान सहाय, श्री रमेश कुमार कानि, भोलाराम कानि, श्री हम्मीर सिंह कानि, राजवीर सिंह कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवष्यक सामग्री के प्राईवेट वाहन से खण्डार रवाना हुये। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में बाद हिदायत छोडा गया। समय 8.20 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के खण्डार पेट्रेल पम्प के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री हनुमान राठोर को वाईस रिकॉर्डर चालू कर आरोपी सरपंच भरत सूर्यवंशी के आवास पर रवाना किया गया। उसके पीछे-पीछे श्री मनोज कुमार कानि. व श्री राजवीर सिंह कानि. को रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ के रवाना होकर खण्डार से बालेर रोड के आस-पास वाहन को साईड मे खडा कर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके पश्चात 09.15 ए.एम पर परिवादी श्री हनुमान राठोर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया, जिससे वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर स्वंय के पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर सरपंच भरत सूर्यवंशी को उसके आवास पर देखकर अपने घर चला गया । वहां पर श्री मनोज कुमार कानि0 ने वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे दे दिया। इसके थोडी देर पश्चात मैं आरोपी सरंपच के घर गया तो सरपंच साहब घर पर मिले तो उन्होने मेरे से कहा की तु यही पर है ना मै तुझे कॉल करके बुला लूंगा। इस पर मैं वहा से रवाना होकर आपके पास आ गया। वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को हिदायत की गई कि जब भी आरोपी आपको कॉल करे तो आप मुझसे या टीम के सदस्यों से सम्पर्क करें तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के खण्डार कस्बे में अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम हुये। तत्पश्चात समय 01.26 पी.एम पर परिवादी श्री हनुमान राठोर ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को

जरिये मोबाईल सुचित किया की मेरे पास भरत सूर्यवंशी सरपंच ने मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे नम्बर [redacted] पर समय 12.59 पी.एम पर कॉल करके कहा कि तु मेरे पास सांय 4-5 बजे के बीच घर पर आ जाना। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को हिदायत कि की जब भी आप सरपंच के पास जाओ जब मुझसे सम्पर्क कर लेना। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के खण्डार कस्बे में अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम हुये। इसके पश्चात समय 03.00 पी.एम पर परिवादी श्री हनुमान राठोर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया और स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की मैने अपने स्तर पर भरत सूर्यवंशी सरपंच की जानकारी चाही तो मुझे पता चला कि सरपंच को मेरे द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है। अब सरपंच मेरे से रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध में कोई बातचीत नही करेगा। मैंने सरपंच को एक-दो बार कॉल भी किया किन्तु उसने कॉल नही उठाया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष स्वतंत्र गवाह श्री रामचरण गुर्जर से परिवादी की पहनी हुई लोअर की सामने की दाहिनी जैब से रिश्वत राशि का लिफाफा को निकलवाकर सीधे उक्त स्वतंत्र गवाह से ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखवाई गई तथा गवाह रामचरण गुर्जर के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये । इसके पश्चात 03.15 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी हनुमान राठोर मय स्वतंत्र गवाह रामचरण गुर्जर, भगवान सहाय, मय ट्रेप पार्टी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवष्यक सामग्री के प्राईवेट वाहन से कस्बा खण्डार से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिये रवाना होकर समय 04.30 पी.एम पर ब्यूरो चौकी पहुंचा। तत्पश्चात समय 04.45 पी.एम पर परिवादी श्री हनुमान राठौर ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश करते हुये बताया कि मैंने अपने स्तर पर भरत सूर्यवंशी की उसके मकान पर उपस्थिति होने की जानकारी की थी। तब मुझे पता चला कि मेरे द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक भरत सूर्यवंशी सरपंच को लग चुकी है। इसलिये अब वो मेरे से रिश्वत राशि नही लेगे। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। इस पर परिवादी से रिश्वत में की गई मांग अनुसार 1,80,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल कार्यवाही किया गया तथा परिवादी श्री हनुमान राठोर द्वारा दिनांक 28.09.2024 को पेश की गई भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि दस हजार रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले "भारतीय मनोरंजन बैंक" की डमी करेंसी कुल 340 नोट, राशि एक लाख सत्तर हजार रूपये (डमी करेंसी) को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री रमेश कुमार कानि0 से ट्रेप बाक्स में से निकलवायी जाकर नोटो को पाउडर मुक्त कराकर परिवादी श्री हनुमान राठोर को लौटायी जाकर रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 05.15 पी.एम पर वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 28.09.2024 को परिवादी श्री हनुमान राठोर व आरोपी सरपंच भरत सूर्यवंशी के मध्य हुई रिष्वत लेन-देन सम्बन्धित रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 28.09.2024 जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमेरी कार्ड में रिकार्ड थी, को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहन के समक्ष रिश्वत लेन-देन सम्बन्धित वार्ता को कार्यालय कमप्यूटर से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सुन-सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 28.09.2024 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री मनोज कुमार कानि0 से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क बी-1 व दो डीवीडीयां क्रमश- मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "बी-2", "बी-3" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई तथा जर्ये कम्प्यूटर मूल मेमोरी कार्ड की हैष वैल्य की गणना कर प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन के समय उपयोग मे लिए गये उक्त मैमोरी कार्ड जिनमें दिनांक 09.09.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 28.09.2024 की रिश्वत लेन-देन संबंधित वार्ता रिकॉर्ड हैं, उक्त मैमोरी कार्ड को माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्का- एम.1 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई तथा मूल पेन ड्राईव शील्ड मार्क बी-1 एवं मुल्जिम प्रति शील्ड डीवीडी मार्क बी-2 एवं मैमोरी कार्ड मार्क एम-1 को श्री रमेश कुमार कानि0 469 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 07.00 पी.एम पर बाद कार्यवाही परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही सकुषल ब्यूरो चौकी से रूखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि श्री हनुमान राठौर पुत्र श्री नाथुलाल साहु जाति साहु उम्र 32 वर्ष निवासी बालेर रोड बैरवा बस्ती खण्डार जिला सवाई माधोपुर के बालेर रोड पर स्थित कब्जा शुदा प्लाट का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत बरनावदा सरपंच श्री भरत सूर्यवंशी द्वारा उक्त प्लाट का पट्टा नही बनाने का दबाव बना कर का पट्टा बनाने की एवज में 50,000 रूपये प्राप्त करना तथा 2 लाख रूपये की मांग की गई। दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 09.09.2024 को श्री भरत सूर्यवंशी द्वारा परिवादी हनुमान राठोर से दो लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा कम करने का निवेदन करने पर एक लाख अस्सी हजार रूपये पर सहमत होने की पृष्ठी होना पाया गया। वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 28.09.2024 को किसी परिवादी के बताये अनुसार व परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रानुसार आरोपी सरपंच को परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने के कारण रिश्वत राशि प्राप्त नही करने तथा परिवादी का कार्य भी नही करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन

2018) के बकू में अपराध प्रथम दृष्टतया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री रामभरत बैरवा उर्फ भरत सूर्यवंशी पुत्र धूलीलाल बैरवा, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम बडोद, पोस्ट बडोद हाल सरपंच, ग्राम पंचायत बरनावदा, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर प्रेषित है। (सुरेन्द्र कुमार शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री रामभरत बैरवा उर्फ भरत सूर्यवंशी पुत्र धूलीलाल बैरवा, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम बडोद, पोस्ट बडोद हाल सरपंच, ग्राम पंचायत बरनावदा, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करोली को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 232 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1657-60 दिनांक 20-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2-आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2024 [illegible]

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)